राजकीय ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 15( )2023 / कार्मिक–भर्ती / प्रमुवसं / 1104 दिनांक :– 2/05/2023

विज्ञप्ति

राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963 के नियम 26 के प्रावधान अनुसार वन विभाग में जिला अजमेर, बाड़मेर भरतपुर, बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुनझुनू करौली, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमन्द एवं सिरोही जिलों प्रत्येक जिले में एक–एक आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर कुल 17 पशु चिकित्सा अधिकारियों को राशि रूपये 39,300 / – (उन्नतालीस हजार तीन सौ रूपये) प्रतिमाह की दर से तीन माह के लिए नियुक्त किया जायेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप, जिलों में नियुक्ति हेतु कुल / आरक्षित पदों की संख्या, आवश्यक शर्तें, दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप आदि विभाग की वेबसाईट www. forest.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। पशु चिकित्सा अधिकारियों हेतु निर्धारित दिनांक 23. 05.2023 को नामाक्षर A to M तथा दिनांक 24.05.2023 को नामाक्षर N to Z से प्रारम्भ होने वाले अभ्यर्थी प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक अपने आवेदन पत्र मय मूल दस्तावेज सहित अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में कक्ष सी–109 में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अधिक जानकारी हेतु 0141-2700151 पर सम्पर्क करें।

(डॉ. दीप नारायण पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान जयपुर

वन विभाग में आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर पशु चिकित्सा अधिकारियों के पदों का वर्गीकरण

Non-TSP क्षेत्र के जिला अजमेर, बाड़मेर भरतपुर, बीकानेर, बून्दी, चुरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झुनझुनू करौली एवं नागौर, जिलों में कुल 12 पद

वर्ग	General		SC		ST		BC		MBC	EWS	
पदों की संख्या	7		1		1		2		0	1	
क्षैतिज आरक्षण	पुरूष	सा. महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	––	पुरूष	महिला
	5	2	1	0	1	0	2	0	0	1	0

TSP क्षेत्र के जिला चित्तौड़गढ, डूंगरपुर, प्रतापगढ, राजसमन्द एवं सिरोही जिलों में कुल 05 पद

वर्ग	ST		SC	General	
पदों की संख्या	2		0	3	
क्षैतिज आरक्षण	पुरूष	महिला	––	पुरूष	महिला
	2	0	0	3	0

नोट :– क्षैतिज आरक्षण के तहत कुल 17 पदों में एक पद दिव्यांगजन हेतु उपलब्ध रहेगा लेकिन वन विभाग के कार्यों की प्रकृति एवं दायित्व के निर्वहन अनुरूप उपयुक्त पाए जाने पर ही सक्षम स्तर से अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

घर-घर औषधि योजना

आवेदन–पत्र

(पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों पर पूर्णतः आवश्यक अस्थाई आधार पर नियत पारिश्रमिक दर के आधार पर नियुक्ति हेतु)

1. आवेदित पद नाम ....
2. आवेदित श्रेणी – TSP .... या NTSP ....

(General/SC/ST/BC/MBC/EWS)	(ST / SC/Others) ....
(सा. महिला / विधवा / परित्यक्ता)	(सा. महिला / विधवा / परित्यक्ता) ....

3. आवेदक का नाम (हिन्दी में)..
   (अंग्रेजी में)..
4. पिता / पति का नाम (हिन्दी में)..
   (अंग्रेजी में)..
5. जन्म दिनांक..................................दिनांक 01.08.2022 को आयु ....
6. लिंग (महिला / पुरूष) ....
7. जाति ....संवर्ग (General/SC/ST/BC/MBC/EWS) ....
8. शैक्षणिक विवरण

क्र.सं.	कक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	12th					
2	BVSC&AH					

9. राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीकरण संख्या ....दिनांक ....
10. गृह जिला ....
11. स्थायी निवास का पता ....
12. पत्र व्यवहार का पता मय मोबाईल नंबर / ई–मेल एड्रेस ....
....
13. 01.06.2002 को जीवित संतानों की संख्या ....
14. 01.06.2022 पश्चात जीवित संतानों की संख्या ....
15. विवाह पंजीयन की तिथि एवं पंजीयन कार्यालय का विवरण ....

मैं यह निष्ठा पूर्वक प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाई गई समस्त सूचनाऐं पूर्णतया सत्य है एवं में किसी दण्डनीय अपराध अथवा अनैतिक कृत्यों के लिए आज दिनांक तक कभी भी दण्डित नहीं हुआ हूँ। मैं अपना आवेदन पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद के लिए नियत पारिश्रमिक के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु कर रहा हूँ। निर्धारित शपथ–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न है।

संलग्न :– कुल पृष्ठ ....
दिनांक ....
स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं प्रार्थी का नाम

राजकीय ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

शपथ–पत्र

मैं ....पुत्र / पुत्री / पत्नी / श्री....................................आयु................. / जाति...................

निवासी ....जिला............................ शपथपूर्वक यह घोषणा करता / करती हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा आवेदन –पत्र में भरी गई समस्त सूचनाऐं सत्य है। शैक्षणिक योग्यता विधि मान्य संस्था से अर्जित की गई हैं।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं नियत पारिश्रमिक के आधार पर है अतः भविष्य में इस नियुक्ति के अधीन, मैं राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं रहूँगा / रहूंगी।
3. मैं भविष्य में इस नियुक्ति के संदर्भ में विभाग में नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नही करूंगा / करूंगी।
4. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र 04.10.2013 के अनुसरण में धुम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने का वचन देता हूँ।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार मैं विवाहित हूँ अपना विवाह पंजीकरण करा लिया है तथा विवाह में मैने दहेज नहीं लिया है।
6. मैं भविष्य में नियुक्ति के उपरांत किसी भी अन्य स्थान के लिए स्थानान्तरण हेतु हकदार नहीं रहूँगा / रहूँगी, ना ही स्थानान्तरण के लिए पात्र रहूँगा / रहूँगी ना ही आवेदन करूंगा / करूंगी।
7. जिस स्थान के लिए मेरा चयन किया जायेगा, मैं उस स्थान के मुख्यालय पर निवास करूंगा / करूंगी।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं ....पुत्र / पुत्री / पत्नी / श्री....................................सत्यापित करता / करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित पैरा 01 लगायत 07 मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य है, इसमे ना ही कुछ गलत है और ना ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें

1. प्रार्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.वी.एस.सी एण्ड ए.एच. में स्नातक होना आवश्यक होगा।
2. प्रार्थी का राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद में दिनांक 01.08.2022 से पूर्व का स्थाई पंजीयन प्रमाण–पत्र होना आवश्यक है।
3. आवेदक 01.06.2022 को या इसके पश्चात तीसरी संतान होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
4. दिनांक 01.08.2022 को न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं परित्यक्ता महिला सहित) को नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी।
5. आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी को संबंधित शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र एवं अंकतालिका (10वीं,12वीं तथा स्नातक)/जाति प्रमाण–पत्र मूल निवास प्रमाण–पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र/राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद का स्थाई पंजीयन प्रमाण–पत्र (दिनांक 01.08.2022 से पूर्व का) की सत्यापित प्रतियां एवं पृथक–पृथक राजपत्रित अधिकारियों से लिये गये दो चरित्र प्रमाण–पत्र, जो 6 माह से पूर्व के नहीं हों, मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। मूल आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज एवं अतिरिक्त दो सेट (फोटो प्रति) जमा कराना आवश्यक होगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों को नियत पारिश्रमिक के रूप में 39,300/– प्रतिमाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता/वार्षिक वेतनवृद्धि/वरिष्ठता आदि का लाभ देय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी का पदस्थापित जिले से अन्यत्र जिले में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।
8. चयनित पशु चिकित्सा अधिकारी को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
9. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में अभ्यर्थी द्वारा धुम्रपान एवं गुटका सेवन नहीं करने का वचनबंध (Undertaking) दी जावेगी।
10. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह पंजीकरण की सूचना/दहेज नहीं लिये जाने का शपथ–पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
11. प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्र में शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (राशि रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित)।
12. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 5 दिवस की अवधि में पदस्थापन कार्यालय में अपनी उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा उसका चयन/नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची से अन्य योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी जावेगी। जिस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप मान्य नहीं होगा।
13. पूर्व से पशुपालन विभाग में आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिक इस भर्ती हेतु पात्र नहीं होंगे, आवश्यक अस्थायी आधार पर पूर्व में कार्यरत कार्मिकों द्वारा आवेदन किए जाने पर उनको भविष्य में होने वाली नियमित भर्ती हेतु अयोग्य घोषित करने बाबत पशुपालन विभाग को सूचित कर दिया जावेगा।
14. प्रारम्भिक रूप में आवश्यक अस्थाई आधार पद दी जाने वाली उक्त नियुक्तियां केवल तीन माह के लिए ही होंगी लेकिन विभाग द्वारा आवश्यक होने पर सम्पूर्ण जिलों अथवा जिला विशेष हेतु नियुक्ति अवधि को बढाया भी जा सकता है।
15. आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त किसी पशु चिकित्सा अधिकारी की सेवाएं असंतोषप्रद पाए जाने पर या कार्य सम्पादन में शिथिलता/लापरवाही विभाग के ध्यान में आने पर ऐसे पशु चिकित्सा अधिकारी की सेवाओं को अविलम्ब समाप्त करने का क्षेत्राधिकार विभाग के पास रहेगा।